

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता विरौल दरभंगा

श्रीमति डोमनी देवी

वनाम

वीरेन्द्र लालदेव

वाद-संख्या-16/2013-14

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा पोहदी बेला,

खाता	खेसरा	रकवा	चोहदी
495 पु0	2385 पु0	0-16-16	उ0-सड़क
2623 नया	2086 नया		द0-रोहित देव
532 नया	2087 नया से		पु0-सड़क
	<u>2086/1 नया</u>	02 डि0	प0-गुफ प्रसाद देव

विवादग्रस्त

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि मद नं0 1 की भूमि बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के कार्यालय लेहेरियासराय के द्वारा आवेदिका के ससुर शीतल लाल देव के नाम से दानित है जिसका विधानुसार निर्मित जमाबंदी नं0 59 वनाम शीतल लाल देव के लगान रसीद उन्हे निर्गत है। मद नं0 1 की भूमि आवेदिका के निरन्तर दखल कब्जा में है एवं उस पर अपना अवासीय घर द्वार के रहन सहन विद्यमान है उक्त भूमि की भौतिक हैसियत से दृष्टि से

हाल सर्वे इन्द्राज भी उनके ससुर के नाम बना है। मद नं० 1 की एराजी से विपक्षी को सरोकार वो सम्बद्धता नहीं है परंतु आवेदिका के साथ विवाद करते हैं उनके परिसर में लगे पड़ो को बलपूर्वक काट लेते हैं विपक्षी पार्श्वती रैयत वो बगल में है एवं चंद बहानो से आवेदिका की भूमि को अवक्रमण भी कर रखें है। विपक्षी के ऐसे विवाद करने के कारण आवेदिका के आवेदन पर अंचल अमीन घनश्यामपुर के द्वारा मद नं० 1 की एराजी की मापी वो सीमांकन किया गया जिसे विपक्षी नहीं मानकर आवेदिका को वेदखल करने पर उतारू हो गये एतद विवाद की जानकारी स्थानीय सरपंच को दी गई जिसके द्वारा पंचायत के बुझारत कराने की कारवाई की गई परंतु विपक्षी द्वारा अमान्य कर दिया गया।

वहीं दूसरी तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि वादी का वाद कानून के नजर में मेनटेनेबुल नहीं है क्योंकि खेसरा, रकवा एवं चौहद्दी गलत है। वाद मिस ज्वाइन्डर एवं ननज्वाइन्डर ऑफ द पार्टी से ग्रसित है। वाद काल अवधि नियम के विरुद्ध है। वादी ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के सही धाराओं के वाद दायर नहीं किया है। वादी के वाद पत्र के पारा 1 का कथन असत्य है स्थल पर कोई विवाद नहीं है एवं उक्त विवाद का निराकरण पूर्व में स्थानीय थाना, सरपंच एवं अंचलाधिकारी द्वारा कर दी गई है। वादी के वाद पत्र के पारा 3 का कथन असत्य है क्योंकि उक्त भूमि पर उभय पक्षों का मकानमय सहन है एवं हाल सर्वे बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। वाद पत्र के पारा 4 का कथन गलत है क्योंकि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगणों के दादा के नाम से भूदान प्रमाण पत्र द्वारा प्राप्त है एवं प्रतिवादीगणों का मकानमय सहन के रूप में अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। वादी के वाद पत्र के पारा 5 का कथन आंशिक सही है एवं आंशिक गलत है क्योंकि अंचल अमीन के पैमाईस के वाद स्थानीय थाना सरपंच एवं अंचलाधिकारी के द्वारा पंचों के समक्ष उभय पक्षों के बीच सीमांकन कर पीलर गरवा दिये पति वो पिता का हस्ताक्षर है। जहाँ तक वाद की भूमि का प्रश्न है खाता 495 खेसरा 2350/1रकवा 2 कट्टा 10 धुर बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के प्रमाण पत्र संख्या-14778 दिनांक 05.02.1956 द्वारा प्रतिवादी के पिता बौके देव पे० राम करण के नाम से प्राप्त है एवं दखल कब्जा वो आवासीय मकानमय सहन के रूप में चला आ रहा है। बिहार सरकार के अंचल आमला को राजस्व देकर अद्यतन राजस्व प्राप्त करते आ रहे हैं। वादी का वाद वो दावा भूदान पर्चा के नियम 3 वो 4 के विरुद्ध है फलस्वरूप स्थल के अनुसार एवं अंचल अमीन के द्वारा नापी

2 प्रतिवेदन के अनुसार पर्चा संशोधन हेतु जिला मंत्री भूदान यज्ञ कमिटी को आवश्यक निर्देश देना आवश्यक है ताकि कोई भूमिहीन व्यक्ति घर विहिन न हो सके।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध करये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष द्वारा भूदान पर्चा के आधार पर प्रश्नगत भूमि खेसरा 2350/2 (पुराना) पर दावा किया जा रहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी भूदान से प्राप्त पर्चा के आधार पर खेसरा 2350/1 (पुराना) दखल काबिज होने की बात कही गयी है। इस प्रकार वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुर्वज को भूदान से अलग अलग भूमि प्राप्त है। वादिनी द्वारा पर्चा संलग्न नही किया गया है जबकि प्रतिवादी द्वारा पर्चा संलग्न किया गया है। उभय पक्ष द्वारा दाखिल अंचल अमीन के नापी प्रतिवेदन में कहा गया है कि वादिनी को 0-1-9 धुर एवं प्रतिवादी को 0-2-10 धुर जमीन प्रमाण पत्र के आधार पर मिलना चाहिए। जबकि वास्तव में वादिनी को मात्र 3 डि0 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 4 डि0 भूमि प्राप्त है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो पक्षो को निर्गत भूदान पर्चा के अनुसार भूमि प्राप्त नही है। अतः अंचलाधिकारी घनश्यामपुर को निदेशित किया जाता है कि स्थल निरीक्षण कर यह स्पष्ट हो ले कि उभय पक्षो को कब से प्रमाण पत्र से प्राप्त भूमि पर पुर्ण दखल नही है। यदि शुरू से ही उभय पक्षो को पुर्ण रकवा पर दखल प्राप्त नही है तो भूदान अधिनियम के तहत नियमानुसार अवश्यक कारवाई करें और यदि यह स्पष्ट हो कि विभिन्न लोगो द्वारा भूदान पर्चाधारी को वेदखल किया गया है तो उन्हे दखल दिलाने के लिए नियमानुसार कारवाई करें।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

42  
15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

42  
15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल